



कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (4) में प्रदत्त प्राविधानों के अर्न्तगत प्रो० नीता यादव, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में कला संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कला संकायाध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक 02.04.2024 से आगामी तीन वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा अग्रिम आदेश जो भी पहले हो, तक होगा।

— 80/30 —
कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: सा०प्र०/सि०वि०वि०/1132/2023-24

दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रो० नीता यादव, आचार्य, प्रा०इतिहास विभाग।
- 2- प्रो० हरीशकुमार शर्मा, आचार्य, हिन्दी विभाग।
- 3- समस्त अधिष्ठाता।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष, कला संकाय।
- 5- प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
- 6- वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 7- उपकुलसचिव, प्रशासन/परीक्षा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 8- शैक्षणिक अनुभाग, गोपनीय अनुभाग तथा अभिलेख कक्ष।
- 9- निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 10- आदेश पत्रावली।

— 80/30 —
02.04.24

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।